न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

अपील संख्याः 143/2024

GCMS No.—2024/110

1. सुमित्रा चौधरी पत्नी श्री बलवीर सिंह
2. श्री अभिषेक पुत्र श्री बलवीर सिंह चौधरी
   समस्त जाति जाट हाल निवासी राधा स्वामी बाग तहसील चौमू जिला जयपुर।

...अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

..... रेस्पाडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.10.2024 कार्यालय तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर बमुकदमा संख्या 36/2024 उनवानी सरकार बनाम सुमित्रा व अन्य अर्न्तगत धारा 91 भू राजस्व अधिनिम।

उपस्थितः–

1. श्री बनवारी शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 05.03.2025

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि तहसीलदार शाहपुरा ने अपने निर्णय दिनांक 28.10.2024 से अपीलांट द्वारा ग्राम आसपुरा तहसील शाहपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 1125 रकबा 3.01 हैक्टेयर किस्म गै.मु. नदी में से 1.10 हैक्टेयर पर बाजरा, मकान लोहे का गेट, तारबंदी व दीवार लगाकर संवत् 2081 में अतिक्रमण किये जाने के कारण, अपीलांट को अतिचारी मानकर उक्त आराजी किस्म गै.मु. नदी से बेदखल करने, वार्षिक लगान की 3.74 रूपये का 50 गुना 187 रूपये बतौर शास्ति आरोपित कर अतिक्रमी अपीलांट को मौके से बेदखल करने के आदेश दिये गये। अपीलांट ने उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब करने तथा रेस्पाडेन्ट को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया, कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय अपीलांट्स के विरूद्ध पारित किया है, वह वास्तविक तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रतिकूल होने से प्रथमदृष्टया ही खारिज काबिल है। ग्राम आसपुरा तहसील शाहपुरा स्थित आराजी खसरा नंबर 1128/1 रकबा 1.69 हैक्टैयर को अपीलांट संख्या 1 व गोरधन बिजाणिया ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 02.06.2014 मय बाउण्ड्रीवाल व तारबंदी व लोहे के गेट सहित क्रय की थी ओर क्रय दिनांक से ही उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही है। उक्त आराजी में गोरधन बिजाणिया ने अपने हिस्से 1/2 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 28.01.2019 को विक्रय कर दिया। उक्त क्रयशुदा आराजी में से 8450 वर्गमीटर भूमि कृषि से अकृषि में संपरिवर्तित हो चुकी है। सपंरिवर्तित भूमि खसरा नंबर 2230/1128 अपीलांट संख्या 1 के नाम एवं

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

खसरा नंबर 2229/1128 अपीलांट संख्या 2 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खसरा नंबर 1128/1 की भूमि को संपरिवर्तन करते समय भी उक्त भूमि पर निर्माण व गेट लगा हुआ था जो संपरिर्तित रिपोर्ट से स्पष्ट व बखूबी साबित है इस प्रकार अपीलांट अपनी उक्त भूमि पर साधिकार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नंबर 1125 की आड में अपीलांट को उसके साधिकार की भूमि से बेदखल करना चाहते है। तहसीलदार शाहपुरा से नोटिस दिनांक 24.10.2024 को प्राप्त होने पर अपीलांट द्वारा उक्त नोटिस का जवाब दिनांक 25.10.2024 को प्रस्तुत कर दिया गया तथा अपीलांट द्वारा कई बार तहसील कार्यालय व तहसीलदार महोदय से व्यक्तिगत सम्पर्क कर उक्त नोटिस की कार्यवाही के बारे में जानकारी चाही गई लेकिन तहसीलदार महोदय द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं देते हुए कि किसी प्रकार की अग्रिम कार्यवाही से पूर्व आपको सूचित कर दिया जायेगा का आश्वासन दिया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सूचित किये बिना सुनवाई का अवसर दिये ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तो के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपीलांट की उपस्थिति में किसी प्रकार की कोई मौका रिपोर्ट तैयार नही की गयी एवं खसरा नंबर 1125 गै.मु.नदी जो कि अपीलांट की भूमि के लगवा है की आड में अपीलांट को अतिक्मी होना मानकर उक्त अवैध नोटिस दिया गया है जो विधि के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 02.06.2014 को एक प्रिन्टेड प्रोफार्मा रिक्त स्थान पर भर कर निर्णय पारित कर दिया एवं अपीलांट के जवाब का विवेचन भी नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा अपनी संपरिवर्तित भूमि का राजस्थान राईजिंग योजना के अर्न्तगत एम.ओ.यू. करके औद्योगिक कार्य भी चालू किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि के पडोसी खातेदारो के प्रभाव में आकर आदेश पारित किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा गलत तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये गये है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली कमांक 36/24 उनवानी सरकार बनाम सुमित्रा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2024 को निरस्त किये जाने की कृपा करें।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलांट ने राजकीय भूमि पर अतिक्मण किया है। विवादित आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गै.मु.नदी दर्ज है। अपीलांट के विरूद्व धारा 91 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाकर राजकीय भूमि पर अतिक्मण होने से अपीलांट को राजकीय भूमि से बेदखली के आदेश दिनांक 28.10.2024 को अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश दिये है, वह उचित है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्राावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा ग्राम आसपुरा, तहसील शाहपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 1125 रकबा 3.40 हैक्टेयर किस्म गै.मु.नदी पर बाजरा, मकान, लोहे

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

का गैट व तारबंदी एवं दीवार लगाकर अतिक्रमण किये जाने की पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज. भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किए गए जिसके पश्चात अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.10.2024 द्वारा अपीलांट को बेदखल किये जाने के आदेश प्रदान किये। प्रकरण में अपीलांट द्वारा जाहिर किया गया है कि ग्राम आसपुरा स्थित खसरा नंबर 1125 की भूमि अपीलांट की कयशुदा भूमि के लगवा है एवं अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण/अतिचार नहीं किया है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि खसरा नंबर 1125 की राजकीय भूमि अपीलांट की कयशुदा संपरिवर्तित भूमि खसरा नंबर 2229/1128, 2230/1128 वाके ग्राम आसपुरा के साथ निकटवर्ती लगती हुयी भूमि है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को न्यायहित में अपीलांट को बेदखली आदेश पारित करने से पूर्व सीमा ज्ञान की कार्यवाही की जानी चाहिए थी किन्तु प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे ये जाहिर हो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमा ज्ञान की कार्यवाही की गयी है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आक्षेप के संबंध में अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व गौर नहीं किया जाना जाहिर होता है साथ ही अपीलांट की अनुपस्थिति एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन बेदखली आदेश पारित किया गया है। इसलिए अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रकरण संख्या 36/2024 बउनवानी सरकार बनाम सुमित्रा चौधरी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2024 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहपुरा को इस निर्देश कि साथ **(REMAND)** प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर, विवादित भूमि के संबंध में अपीलांट की उपस्थिति में सीमा ज्ञान करवाया जावे यदि सीमा ज्ञान की कार्यवाही पश्चात अपीलाधीन भूमि राजकीय भूमि (गै.मु.नदी) पायी जाती है तो राजकीय भूमि के संबंध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में निहित प्रावधानो अनुसार पुनः निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर